

अन्तिम पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या-08/2023

अनवान:-

1 सुमन देवी पत्नी संजय कुमार जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीया

बनाम्

1. गुरभगत सिंह पुत्र शेरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. गुरभीत सिंह पुत्र घुकरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसीले टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. गिन्दो पुत्री शेरसिंह पत्नी कुलदीपसिंह जाति जटसिख निवासी संगत मण्डी
4. गोला सिंह पुत्र सरवनसिंह
5. जगनन्दनसिंह पुत्र सरवनसिंह
6. पप्पीसिंह पुत्र सरवनसिंह
7. प्रविन्द कौर पत्नी रणजीतसिंह
8. रणजीतसिंह दतक पुत्र तोलासिंह
9. आकाशदीप माता गुड्डी पत्नी गाकासिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10. सुखचौनसिंह
11. सतपालसिंह
12. किरणा
13. जगजीतसिंह
14. जसवीरकौर
15. लीलासिंह
16. मन्दरसिंह
17. ककूसिंह
18. गाकासिंह पुत्र मिठु सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
19. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

जाति जटसिख निवासीयान सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।



प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग प्रतिवादी अंतिम निपटारे/निर्णय

हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किग्या जाकर उभयपक्ष के मध्य खाता व लगान निम्नानुसार अलग कायम किये जाते है।

वादीया सुमन पत्नी संजय कुमार को प्राप्त आराजी:-चक 1 एनडीआर के प0न0 208/322 गु0 15 किला न0 9/.253, 10/2/.228, 11/2/.228, 12/.253, 19/.253, 20/2/.228, 21/2/.228, 22/1/.127 है0 कुल 1.798 है0। उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए शेष खाता पक्षकारान के हिस्सानुसार बदस्तुर रखते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि वादीया का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को वादीया के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डीकी जारी हो।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक 29/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



27
जुडिसियल मजिस्ट्रेट एवं सहायक कलक्टर
(सुजयारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।